(9)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू
पीठासीन अधिकारी अलका बिश्नोई (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू

मुकदमा नम्बर 137/2013

1. प्यारेलाल पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी हेजमपुरा तहसील व जिला झुंझुनू

--वादी

बनाम

1. रोहिताश पुत्र स्व. हनुमान आयु 45 साल पेशा काश्त जाति जाट निवासी हेतमपुरा तहसील व जिला झुंझुनू
2. कमल सिंह स्व. हनुमान आयु 42 साल जाति जाट निवासी हेजमपुरा तहसील व जिला झुंझुनू
3. प्रबंधक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, शाखा स्टेशन रोड़ झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू
4. प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक, झुंझुनू तहसील व जिला झुंझुनू
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील व जिला झुंझुनू

--प्रतिवादी

दावा बाबत विभाजन अराजी व घोषणा खातेदारी

उपस्थित अधिवक्ता :-
श्री महेन्द्र कुमावत, एडवोकेट – वादी की ओर से
श्री श्रवण कुमार सैनी एडवोकेट– राज्य सरकार की ओर से

निर्णय

दिनांक :-21.03.2018

आज यह पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादी 1 व 2 आपस में सगे भाई है व स्व. हनुमान के पुत्र है। वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी काश्त की भूमि खसरा न. 130 तादादी 1.10 हैक्टर जो खाता संख्या 31 में दर्ज है व खसरा न. 230 तादादी 2.20 हैक्टर जो वर्तमान खाता संख्या 87 में दर्ज है। खसरा न. 230 वादी व उसके भाई प्रतिवादीगण ने सोहन पुत्र भुरा उसके साथ खसरा न. 231 को एक्सचेंज कर प्राप्त की थी। वर्तमान में सोहन खसरा न. 231 का खातेदार व वादी उसके भाई 230 के खातेदार है। सभी भूमिया ग्राम हेजमपुरा पटवार हल्का इण्डाली की सरहद में स्थित है। वादी एवं उसके दोनो भाई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 में अपनी आपसी सुविधा सहमति के अनुसार भूमि खसरा न. 130 व 230 का मौके पर बाकायदा सींव डालकर नपती कर 3–3 जगह विभाजन कर रखा है और विभाजन के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है। विभाजन के अनुसार खसरा न. 130 कुल तादादी 1.10 हैक्टर मे से वादी प्यारेलाल के हिस्से में कमल व रोहिताश के बीच की उतर–दक्षिण 0.37 हैक्टर भूमि हिस्से में आई है। खसरा न. 130 में से कमल के हिस्से में पश्चिम दिशा की उतर–दक्षिण 0.36 हैक्टर व रोहिताश के हिस्से में व पूर्वी दिशा की उतर–दक्षिण 0.37 हैक्टर तीसरे भाई रोहिताश के हिस्से में आई है इसी प्रकार विभाजन के अनुसार खसरा न. 230 कुल तादादी 2.20 हैक्टर मे से वादी प्यारेलाल के हिस्से में पश्चिम दिशा के उतर–दक्षिण 0.73 हैक्टर भूमि प्रतिवादी रोहिताश के हिस्से में व कमल व प्यारेलाल के बीच की 0.74 हैक्टर उतर–दक्षिण व कमल के हिस्से में पूर्वी दिशा की उतर–दक्षिण 0.74 हैक्टर भूमि हिस्से में आई है। दोनो खेतो का बंटवारा लम्बाई में उतर–दक्षिण है उक्त बंटवारे के अनुसार पक्षकारान तीनो भाई मौके पर सींव डालकर काश्त व खेती करते है आपसी प्रेम के कारण भूमियों का खाता शामिल में चला आ रहा है। यह भूमि वादी व प्रतिवादी कमल सिंह का 1/3 बैंको के किसान केडिट कार्ड में कर्ज के कारण रहन होने के कारण प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को पक्षकार दावा बनाया गया है। राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर होने के कारण इसे जरिये तहसीलदार पक्षकार बनाया गया है। दिनांक 10.04.2013 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने तहसील में जाकर विभाजन हेतु इंकार कर देने पर यह दावा न्यायालय हाजा में पेश हुआ हैं जिसको सुनने का अधिकार श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में है। यह कि वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वादी प्यारेलाल को खसरा न. 130 ग्राम हेजमपुरा कुल तादादी 1.10 हैक्टर मे से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के बीच की उतर–दक्षिण 0.37 भूमि का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
झुन्झुनू (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

सी प्रकार खसरा नं. 230 वाले ग्राम हैजमपुरा कुल तादादी 2.83 हैक्टर में से वादी प्यारेलाल को पश्चिम दिशा की उत्तर दक्षिण 0.[illegible] हैक्टर भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वाद वादी प्रतिवादी संख्या 1 मोहिनराम को खेत खसरा नं. 130 कुल तादादी 1.10 हैक्टर वाले ग्राम हैजमपुरा से पूर्व दिशा की 0.[illegible] हैक्टर उत्तर दक्षिणी भूमि का पृथक से खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व वादी प्रतिवादी संख्या 2 कमल सिंह को खसरा नं. 130 कुल तादादी 1.10 हैक्टर वाले ग्राम हैजमपुरा में से पश्चिम दिशा की 0.[illegible] हैक्टर उत्तर दक्षिण भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। इसी प्रकार खेत खसरा नं. 230 तादादी 2.83 हैक्टर वाले ग्राम हैजमपुरा में से पूर्व दिशा की 0.[illegible] हैक्टर उत्तर दक्षिण भूमि का पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तदनुसार दावा पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। प्रतिवादी नं. 5 ने जवाब दावे के रूप मे आवेदिका मे अंकित किया कि राजस्व रिकार्ड के अनुसार विभाजन किया जा सकता हो व राजस्व हानि न हो तो कोई एतराज नही है। प्रतिवादी नं. 1, 3 व 4 उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व वाद मे वर्णित तथ्यों का बगौर मनन किया गया। जिससे वाद वादी वाद की धारा क. ख. ग के अनुसार सिद्ध होने पर वाद वादी डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः

आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी वाद की धारा क. ख. ग के अनुसार स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वाद की धारा क.ख.ग निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि व वाद की धारा क. ख. ग के अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखील दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.03.2018 खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

21.3.18

(अलका [illegible])
उपखण्ड अधिकारी
झुंझुनू